ई–मेल : divcomm-bha-rj@nic.in
दूरभाष नं0 – 05644–234894
फैक्स नं0 – 05644–234891

कार्यालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

क्रमांक/राजस्व/2020/ 184 दिनांकः– 15/4/2020

श्रीमान मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार,
जयपुर

विषयः– ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 575/2019 यदुराज सिंह जाट बनाम राजस्थान राज्य, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।
प्रसंगः– संयुक्त शासन सचिव, खान (ग्रुप–2) विभाग, जयपुर का पत्रांकः प–11/(1)(82)खान/ग्रुप–2/2020 दिनांक 06.03.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण बनास नदी करौली (राजस्थान) में हो रहे अवैध बजरी खनन से सम्बन्धित रिपोर्ट संभागीय आयुक्त के जरिये मुख्य सचिव महोदय को प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। इस क्रम में जिला कलक्टर करौली से प्राप्त बिन्दुवार रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। कृपया रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को भिजवाने की कृपा करावें, ताकि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश की अनुपालना की जा सके।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

D:\DRA\REVENEU\revue corrocpendance\Complaind revenue2019.doc

कार्यालय जिला कलक्टर करौली

दिनांकः 06/03/2020

कमांक/प.12(3)(4)(2)खनिज/2020/ 546

श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय,
संभाग भरतपुर।

विषयः— ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 575/2019 यदुराज सिंह जाट बनाम राजस्थान राज्य, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली

प्रसंगः— आपका पत्र पत्रांक/राजस्व/2020/168 दिनांक 06.03.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न संयुक्त शासन सचिव, (ग्रुप—2) खान विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र एवं ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 575/2019 यदुराजसिंह जाट बनाम राजस्थान राज्य, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश कमांक 19.02. 2020 के कम मे बिन्दूवार रिपोर्ट निम्न प्रकार है :—

1. बिन्दू संख्या 01 राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल से सम्बन्धित है।
2. बिन्दू संख्या 02 के कम मे निवेदन है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 16.11.17 से राजस्थान राज्य मे खनिज बजरी की स्वीकृत 82 एलओआई मे जिला करौली मे स्वीकृत 01 एलओआई श्री रमेशचन्द मोरानी के पक्ष मे निकट ग्राम हाडौती तहसील सपोटरा क्षेत्र 894.5 है हेतु स्वीकृत थी उक्त एलओआई माननीय हरित प्राधिकरण भोपाल के आदेश दिनांक 24.05.2016 की पालना मे दिनांक 27.05.1016 से खनन कार्य बन्द करवाया गया।

   माननीय उच्च न्यायालय जयपुर मे दायर सिविल रिट पिटीशन संख्या 9458/2017 मे पारित आदेश दिनांक 03.05.18 के कम मे इस कार्यालय के द्वारा दिनांक 17.07.2018 के द्वारा खनिज, वन, परिवहन, राजस्व एवं पुलिस विभागो का संयुक्त विशेष दल का गठन किया गया है। उक्त संयुक्त जॉच दल द्वारा जिला करौली मे खनिज बजरी के अवैध खनन स्थल मुख्यतया तहसील सपोटरा के ग्राम हाडौती एवं आसपास के क्षेत्रो मे बहने वाली बनास नदी क्षेत्र मे खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारन के विरूद्व नियमित रूप से कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त जिले मे ग्राम बूकना मोड, चौडागॉव (जोडली मोड), रानेटा एवं गुलाब कोठी एवं नारौली डॅाग तहसील सपोटरा मे पुलिस एवं खनिज विभाग की संयुक्त चौकिया स्थापित की गई है तथा वर्तमान मे ग्राम चमारपुरा, फतेहपुरा, हाडौती से भूरी पहाडी पर स्थित पुल, पंवारपुरा नदी एवं बडौदा गजराजपाल पर चैक पोस्ट/नाके लगाये जाकर सीसीटीवी कैमरे स्थापित किये गये है। उक्त चैक पोस्टो के स्थापित होने के पश्चात् खनिज बजरी का अवैध खनन/निर्गमन लगभग नगण्य हो गया है।

Rev
11/3/20

Mines (Revenue section)
E-mail : dm-kar-rj@gov.in, adm-kar-rj@gov.in
Phone no - 07464 250100/250205 Fax us at: 07464-250281

इसके अतिरिक्त समय–समय पर संयुक्त रूप से (पुलिस विभाग, खनिज विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग) आपसी समन्वय स्थापित कर क्षेत्र मे अवैध बजरी खनन एवं परिवहन को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर आयोजित की जाने वाली साप्ताहिक बैठक मे भी राजस्व, पुलिस, खान, वन एवं परिवहन विभाग को अधिकारियो आपसी समन्वय स्थापित कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है। इस सम्बन्ध मे इस वर्ष की गई कार्यवाही निम्न प्रकार है :–

अवधि 01.04.2019 से 06.03.2020 तक

क्र0 स0	विभाग का नाम	प्रकरणो की संख्या जिनमे कार्यवाही की गई	प्रकरणो मे वसूल की गई राशि लाखो मे	कितने प्रकरणो मे पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराई गई	विशेष विवरण
1.	खनिज विभाग	257	141.18	8	अवैध खनन 2 अवैध निर्गमन 247 अवैध स्टॉक 6
2.	पुलिस विभाग	185	—		मुकदमे 33 207 एम.बी.एक्ट 130 38 पुलिस एक्ट 27
3.	परिवहन विभाग	98	9.12 लाख	—	ट्रक 32 ट्रेलर 8 ट्रेक्टर 58
कुल		540	150.30		

संलग्न– खनिज,पुलिस एवं परिवहन
विभाग की रिर्पोटो की प्रति

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
करौली

क्रमांक / सम / 2020 /

दिनांक 06.03.2020

प्रतिलिपी –

1. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महोदय, खान (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान जयपुर।

हस्ता.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
करौली

E-mail : dm-kar-rj@gov.in, adm-kar-rj@gov.in
Phone no - 07464 250100/250205 Fax us at: 07464-250281

कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, करौली

क्रमांक :– 2760 दिनांक :– 06/03/202

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
करौली

विषय :– ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 575/2019 यदुराज सिंह जाट बनाम राजस्थान राज्य माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली।

प्रसंग :– श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, खान (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर का पत्रांक प–11(1) (82) खान/ग्रुप–2/2020 दिनांक 06.03.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जिले में उडनदस्तों द्वारा बजरी के ओवरलोड परिवहन पर माह अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 तक की गई कार्यवाही की रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार कर सादर प्रेषित है :–

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	चालानों की संख्या	राशि (लाखों में)
1	ट्रक	32	2.41
2	ट्रेलर	8	1.49
3	ट्रैक्टर	58	5.22
	योग	98	9.12

जिला परिवहन अधिकारी
करौली (राज0)

भीम

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, करौली

जिला परिषद कार्यालय एवं सिटी पार्क के पास खनिज भवन
Mail Id- me.karoli@rajasthan.gov.in tele. No. 07464-250202

क्रमांक:-खअ/करौ/बजरी एसआईटी/2020/34 दिनांक :- 6.3.20

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर,
जिला करौली।

विषय :- ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 575/2019 यदुराज सिंह जाट बनाम राजस्थान राज्य, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली।

प्रसंग :- आपका पत्रांक प.12(3)(4)(2) खनिज/2020/542 दिनांक 06.03.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 575/2019 यदुराज सिंह जाट बनाम राजस्थान राज्य, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश दिनांक 19.02.2020 की पालना में बिन्दुवार जबाब निम्न प्रकार है :-

1. बिन्दु संख्या 1 में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल एवं मध्यप्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल से प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट चाही गयी है जो इस कार्यालय से संबंधित नहीं होने के कारण कार्यालय की कोई टिप्पणी अपेक्षित नही है।
2. बिन्दु संख्या 2 के संदर्भ में टिप्पणी निम्न प्रकार है:-

माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा **DBCMA No 250/2013** में पारित आदेश दिनांक 21.10.2013 के विरूद्व याचिकाकर्ता श्री नवीन शर्मा द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्पेशल लीव टू अपील संख्या 34811/2013 दायर की गयी उक्त दायर एसएलपी पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 16.11.2017 से आदेश जारी कर राजस्थान राज्य में खनिज बजरी की स्वीकृत 82 एलओआई में खनिज बजरी के खनन पर रोक लगायी गयी । उक्त 82 एलओआई में जिल में स्वीकृत 01 एलओआई जो श्री रमेश चन्द मोरानी के पक्ष निकट ग्राम हाडोती तहसील सपोटरा क्षेत्र 894.5 है0 हेतु स्वीकृत थी उक्त एलओआई माननीय हरित प्राधिकरण भोपाल के आदेश दिनांक 24.5.2016 की पालना में दिनांक 27.5.2016 से खनन कार्य बंद करवाया गया।

उक्त आदेश के पश्चात् खनिज बजरी के वैध स्त्रोत में खनन कार्य पर रोक होने के कारण खनिज बजरी के अवैध खनन /निर्गमन की शिकायते कार्यालय को प्राप्त होने लगी जिस पर कार्यालय द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के तहत खनिज बजरी को अवैध मानते हुये कार्यवाही की जाती रही।

तत्पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष दायर **SBCWP No 9458/2017** संजय कुमार गर्ग बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 03.5.2018 में दिये गये निर्देशो की पालना में खनिज बजरी के अवैध खनन / परिवहन / भण्डारण की रोकथाम हेतु श्रीमान जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 17.7.2018 से खनिज, वन, परिवहन, राजस्व एवं पुलिस विभागो का संयुक्त विशेष जॉच दल का गठन किया गया ।

उक्त संयुक्त जॉच दल द्वारा जिला करौली में खनिज बजरी के अवैध खनन स्थल मुख्यतया तहसील सपोटरा के ग्राम हाडौती एवं आसपास के क्षेत्रो में बहने वाली बनास नदी क्षेत्र में खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरूद्व नियमित रूप से कार्यवाही की जाती रही ।

उपरोक्त के अतिरिक्त जिले में खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन के क्षेत्र में निकट ग्रमा बूकना मोड, चौडागांव (जोडली मोड), रानेटा एवं गुलाब कोठी एवं नारौली डांग तहसील सपोटरा में पुलिस एवं खनिज विभाग की संयुक्त चौकिया स्थापित की गयी। जिनका निरन्तर रूप से श्रीमानं जिला कलक्टर, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं खनि अभियन्ता करौली द्वारा निरीक्षण किया जाता है।

माननीय न्यायालय के आदेशो की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने हेतु श्रीमान जिला कलक्टर महोदय एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार उक्तानुसार स्थापित चौकियों के स्थान पर वर्तमान में ग्राम चमारपुरा, फतेहपुरा, हाडौती से भूरी पहाडी पर स्थित पुल, पवांरपुरा नदी एवं बडौदा गजराजपाल पर चैक पोस्ट /नाके लगाये जाकर सीसीटीवी कैमरे स्थापित किये गये है । उक्त चैक पोस्टो के स्थापित होने के पश्चात् खनिज बजरी का अवैध खनन/निर्गमन लगभग नगण्य हो गया है।

कार्यालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 16.11.2017 के पश्चता् खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/के विरूद्व की गयी कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है:–

कंस	विवरण	अवैध खनन	अवैध निर्गमन	अवैध स्टाक	कुल प्रकरण	वसूल की गयी राशि लाखो में	दर्ज एफआईआर
1	दिनांक 16.11.17 से 31.03.2018	0	29	0	29	13.69	1
2	वर्ष 2018–19	2	214	7	223	70.46	24
3	वर्ष 2019–20 (दिनांक 29.02.2020 तक)	2	247	6	255	129.25	8
	6/3/2020 तक	–	257	–	265	141.18	–

3. बिन्दु संख्या 3 की पालना में कार्यालय की टिप्पणी अपेक्षित नही है।
4. बिन्दु संख्या 4 की पालना में कार्यालय की टिप्पणी अपेक्षित नही है।

भवदीय

(डी.एस.मीना)
खनि अभियन्ता
करौली

Demand 752

।। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला करौली ।।

क्रमांकः– विविध/करौली/2020/2073 दिनांकः– 6.3.2020

जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
करौली।

विषयः–ओरीजन एप्लीकेशन संख्या 575 यदुराज सिंह जाट बनाम राजस्थान राज्य माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली।

प्रसंगः–श्रीमान के पत्र क्रमांक/प.12 (3)(4)(2) खनिज/2020/544–45 दिनांक 6.3.2020 के संदर्भ में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग में निवेदन है कि जिला करौली बनास नदी/चम्बल नदी में हो रही बजरी के अवैध खनन/निर्गमन के रोकथाम के संबंध में वर्ष 2019 व 05 मार्च 2020 तक निम्न प्रकार कार्यवाही की गई जो अवलोकनार्थ प्रेषित है।

वर्ष 2019 में अवैध बजरी के संबंध में सूचना

मुकदमा	207 एम.बी. एक्ट	38 पुलिस एक्ट
29	109	22

01.01.2020 से 05.03.2020 तक अवैध बजरी के संबंध में सूचना

मुकदमा	207 एम.बी. एक्ट	38 पुलिस एक्ट
04	21	05

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका (सिविल) 10587/2019 बजरी लीज एलओआई होल्डर बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 19.02.2020 की पालना में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा में दिनांक 29.02.2020 को 2.00 पीएम पर जिला स्तरीय एस.आई.टी. की बैठक का आयाजित करने का निर्णय किया गया।

उक्त निर्णय कि पालना में दिनांक 29.02.2020 को समय 10.00 एएम पर मन पुलिस अधीक्षक एवं श्रीमान जिला कलक्टर करौली, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करौली, उपखण्ड अधिकारी सपोटरा, खनिज अभियन्ता करौली एवं अन्य संबंधित जिला स्तरीय एसआईटी सदस्य/अधिकारीयों द्वारा संयुक्त रूप से जिले की तहसील सपोटरा में खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम हेतु पूर्व में लगायी गयी आएसी की स्थायी चैक पोस्ट बूकना मोड, चौडागॉव (जोडली मोड), रानेटा एवं गुलाब कोठी का निरीक्षण किया गया।

तत्पश्चात् संयुक्त टीम द्वारा सर्वप्रथम खनिज बजरी के अवैध खनन का मुख्य क्षेत्र ग्राम पवारपुरा तहसील सपोटरा एवं खनिज बजरी के अवैध निर्गमन के मुख्य मार्ग ग्राम फतेहपुरा, बडौदा गजराजपाल, चमारपुरा का निरीक्षण किया गया।

क्षेत्रीय निरीक्षण के बाद कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा में समय 2.00 पीएम पर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन /भण्डारण हेतु जिला स्तर व थाना स्तर पर गठित पर गठित एसआईटी की बैठक आयोजित की गयी। उक्त बैठक में निम्न सुझाव पारित हुएः–

1. पूर्व में स्थापित चौकियों बूकना मोड, चौडागांव (जोडली मोड), रानेटा, एवं गुलाब की कोठी को हटाकर नदी क्षेत्र (खनिज बजरी अवैध खनन स्थल) ग्राम पवारपुरा एवं बनास नदी में स्थित हाडोती (जिला करौली) से भूरी पहाडी (जिला सवाईमाधोपुर) के मध्य स्थित पुल एवं अवैध निर्गमन के मुख्य रास्ते ग्राम फतेहपुरा, बडौदा गजराजपाल एवं चमारपुरा पर आरएसी के साथ चौकी लगायी जावे ताकि खनिज बजरी के अवैध खनन स्थल तक कोई वाहन/मशीन नहीं पहुंच सके। जिससे अवैध खनन/निर्गमन में गिरावट की पूर्ण संभावना हैं।
2. खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम हेतु चमारपुरा, फतेहपुरा, हाडौती से भूरी पहाडी पर स्थित पुल, पवांरपुरा नदी एवं बडौदा गजराजपाल पर चैक पोस्ट/नाके लगाये जाकर उन चैक पोस्टों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने हेतु खनि अभियन्ता, करौली को निर्देश दिये गयें जिससे अवैध निर्गमनकर्ताओं में भय व्याप्त किया जा सके। जिस पर खनि अभियन्ता करौली द्वारा उक्तानुसार चैक पोस्टों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया।
3. मीटिंग में जिला/थाना स्तर पर गठित एसआईटी द्वारा संयुक्त रूप से 15 मार्च से पूर्व कम से कम 4 बडी कार्यवाही एवं खनिज बजरी के अवैध स्टॉक को जप्त करने की कार्यवाही के साथ–साथ सम्बन्धित दोषियों के विरूद्ध पीडीपीपी एक्ट की धाराओं के अनुसार भी कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।
4. जिले में खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन में लिप्त खनन माफियाओं का चिन्हिकरण कर उनके द्वारा अवैध खनन/निर्गमन में उपयोग किये जाने वाले वाहन/मशीनों को जप्त कर संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराने हेतु का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त लिये गये निर्णयों के संदर्भ में अवैध बजरी खनन/निर्गमन की रोकथाम हेतु हाडौती बनास नदी चैक पोस्ट, कंवारपुरा चैक पोस्ट, गढी का गांव चैक पोस्ट, खुशालसिंह तिराहा चैक पोस्ट, बडोदा गजराजपाल चैक पोस्ट स्थाई चौकी स्थापित की जाकर उनमें पुलिस विभाग, खनन विभाग व वन विभाग के मुलाजमान पदस्थापित किये जा चुके है। उक्त पांचों स्थाई चौकियों में सीसीटीवी कैमरा लगाये जा चुके है। इसके अलावा फतेहपुर, हाडौती तिराया, गोरधनपुरा पर थाना सपोटरा व पुलिस लाईन से अस्थाई गार्ड लगाई गई है जिनमें पुलिस मुलाजमान तैनात किये गये है।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
जिला पुलिस अधीक्षक,
करौली